रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1975/ज्येष्ठ 15, 1897
No. 102] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1975/JYAISTHA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th June 1975

SUBJECT :—*Import Policy for the licensing period April 1975—March 1976.*

No. 41-ITC (PN)/75.— Attention is invited to the import policy as contained in the I.T.C. Policy Red Book (Vol. I) for the licensing period April 1975—March 1976, regarding the procedure for submission of applications for grant of automatic licences to large scale units and for automatic-cum-supplementary licences in the case of small scale units.

2. In order to simplify the procedure for submission of applications in terms of the import policy for the licensing period April, 1975—March, 1976, it has been decided that actual users in the small scale sector should submit applications for grant of licences for import of raw materials and components under automatic-cum-supplementary licensing scheme in the form 'B-I' as given in annexure I of this public notice. Similarly, actual users other than small scale units (including DGTD units) should submit applications for grant of licences for import of raw materials and components under the automatic licensing scheme in the prescribed form 'C-I' as given in annexure II of this public notice.

3. It is clarified that the applications for grant of licences for import of raw materials and components already submitted by actual users (large scale or small scale) in the existing forms as given in the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76, will be considered. It is not necessary for such actual users to submit fresh applications in the revised forms as given in annexures I and II of this public notice.

4. A separate application form for supplementary licences for large scale units (including DGTD units) will also be published. Actual users in the large scale sector applying for supplementary licences will also be required to furnish alongwith their applications for supplementary licence a copy of the application submitted for the grant of automatic licence, as the same will be required by the sponsoring authority for reference and for examination of application for supplementary licence.

ANNEXURE I

FORM B-I

Form of application for import of raw materials and components under the automatic-cum-supplementary Licensing scheme by small scale units

PART I

(Licensing period April, 1975—March, 1976).

1. Name of the applicant.
2. Full postal address :
 (i) House/Shop No.
 (ii) Name of Street/Road.
 (iii) Name of locality and city.
 (iv) Name of State.
3. Address of location of factory.
4. Description of goods manufactured.
5. If 'select' industry, furnish S. No. of the industry in the select list as in Appendix I of Red Book (Vol. I).
6. Date of establishment of business in India.
7. Nature of the concern, whether Public Company or Private Company, Partnership or Hindu Undivided Family concern.
8. Names of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be.
9. Details of branches or associated companies (name and location).
 (i) in India.
 (ii) Abroad.
10. Registration No. allotted to Income-tax verification certificate or Exemption therefrom. Also attach attested or photostat copy of IVC Regn./Exemption Number (if no current IVC number is held, the previous IVC number may be given).
11. Treasury Receipt No. and date (Treasury Receipt to be attached in original).
12. Registration No. allotted by State Director of Industries.

PART II

13. Particulars of raw materials/components to be imported :

I.T.C. items S. No.	Quantity/Number	Value (c.i.f.)
(a) Items, the import of which is not canalised through Public Sector Agencies.		
(b) Items, the import of which is canalised through Public Sector Agencies.		

NOTE.—The applicant should ensure that in respect of canalised items, the value item-wise is invariably indicated.

14. Particulars of A.U. & REP licences/release orders issued during 1973-74 or 1974-75, as the case may be. (Please furnish these particulars in the attached proforma duly certified by Chartered Accountant or sponsoring authority.)

15. Consumption of the imported raw material and components during 1974-75. (Please furnish in the proforma given in Appendix 2 of the Red Book (Vol. I) for April 1975—March 1976, duly certified by Chartered Accountant or sponsoring authority or Cost Accountant (in practice).

16. Capital investment on machinery and equipment.

17. Has assessment of capacity been approved by CCI&E? If so, indicate No. and date of the CCI&E's letter together with value assessed and approved.

18. Whether it is an exporting unit having exported 20% or more of its production during financial year 1974-75 or calendar year 1974. If so, indicate letter No. & date of the CCI&E accepting the export performance.

19. Is a letter of authority desired? (if so, name of the firm in whose favour it is desired.)

20. The customs house where the import licence, if granted, will be registered.

21. Full details of enclosure attached.

 1. T.R.
 2. C. A. certificate of consumption of raw material and components.
 3. C.A. certificate of licences/R. Os. issued for 1974-75/1973-74.
 4. Check-sheet.

(1) I/We hereby declare that if this licence is granted the goods will be utilised only for consumption as raw materials/components or accessories in our factory and that no portion thereof will be sold to or permitted to be used by any other party.

(2) I/We hereby declare that no other application for Automatic licence has been made for the goods covered by this application.

(3) I/We hereby declare that the Registration Number quoted against item No. 14 of this application is valid and has not been cancelled and/or withdrawn or otherwise made in operative.

(4) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken, having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Date :

Signature.....

Name in Block Letters.....

Designation

Residential Address

(PROFORMA—COL. 14)

Statement showing particulars of actul user licences/release orders and user licences/ release orders obtained during the licensing period by M/s....

1. Actual user licences/release orders obtained for the period.

1973-74				1974-75			
Licence		Release Order		Licence		Release Order	
No. & date of IL	c. i. f. value of IL	No. & date of R.O.	c.i.f. value of R.O.	No. & date of IL	c.i.f. value of IL	No. & date of R.O.	c.i.f. value of R.O.
1	2	3	4	5	6	7	8

NOTE .—In the case of small scale units, they should also indicate clearly the c.i.f. value availed of under the facility of "repeat operation" as per the policy for the first half of the period 1974-75.

2. Particulars of Licences/Release Orders obtained by the Units against their own Exports:

1973-74				1974-75			
Licence		Release Order		Licence		Release Order	
No. & date of I.L.	c.i.f. value	No. & date of R.O.	c.i.f. value	No. & date of I.L.	c.i.f. value	No. & value date of R. O.	
1	2	3	4	5	6	7	8

NOTE.—In respect of any REP licence which had been obtained under the facility of "repeat operation as per the policy applicable during the period 1974-75, only such REP licences which have been issued against adjustment of REP licences/release orders against the facility of "repeat operation" should be indicated.

I/We hereby declare that the information given in this statement is correct. I/We fully understand that any licence/release order issued on the basis of this information will be liable for cancellation, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if it is found that any part of the information furnished is incorrect, false or misleading.

Signature of applicant ——————

Date ——————

Full Address ——————

I/We hereby certify that the information in the statement is correct and complete. I/We have verified this from the following records:

(1)

(2)

(3)

(4)

I/We also certify that the applicant unit has been maintaining proper account of consumption in the prescribed form as indicated in Appendix 19 to the Import Trade Control Hand Book Rules and Procedure, 1975-76.

Signature and seal of Chartered Accountant/Cost Accountant or Sponsoring Authority in the case of small scale units.

Date ——————

Full Address ——————

ANNEXURE II

FORM C-I

Form of application for Import of raw Materials and Components by Actual Users other than Small Scale Units (including DGTD Units) under Automatic Licensing Scheme

PART I

(Licensing period April '75—March '76)

1. Name of the applicant.
2. Full postal address :
 (*i*) House/Shop No.
 (*ii*) Name of the street/road.
 (*iii*) Name of locality.
 (*iv*) Name of State.
3. Address of location of factory.
4. Description of goods manufactured.
5. If select industry, furnish S. No. of the industry in the select list as in Appendix I of Red Book (Vol. I).
6. Date of establishment of business in India.
7. Nature of the concern, whether Public Company or Private Company, Partnership or Hindu undivided family concern.
8. Name of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be.
9. Details of branches or associated companies (name and address):
 (*i*) In India.
 (*ii*) Abroad.
10. Registration No. allotted to Income-tax verification certificate or exemption therefrom. Also attach attested or photostat copy of the IVC Regn./Exemption Number (if no current IVC Number is held, the previous IVC Number may be given).
11. Treasury Receipt No. and Date (Treasury Receipt to be attached).
12. Factory No. allotted by the Directorate General of Technical Development/Sponsoring Authority.
13. Registration No. allotted by DGTD/Sponsoring Authority and No. and date of Industrial Licence, if any, issued.

PART II

14. Particulars of raw materials/components to be imported :—

ITC S.No.	Items	Quantity/Number	Value (c.i.f.)
(*a*)	Items, the import of which is not canalised through Public Sector agencies.		
(*b*)	Items, the import of which is canalised through Public Sector Agencies.		

NOTE.—The applicant should ensure that in respect of canalised items, the value item-wise is invariably indicated.

15. Particulars of AU & REP licences/release orders issued during 1973-74 or 1974-75, as the case may be. (Please furnish these particulars in the attached proforma duly certified by Chartered Accountant.
16. Consumption of imported raw material and components during 1974-75. (Please furnish these particulars in the proforma given in Appendix 2 of the Red Book Vol. I for April, 1975—March 1976 duly certified by Chartered Accountant or Cost Accountant.) (in practice)

17. Whether it is an exporting unit having exported 20% or more of its production during financial year 1974-75 or Calendar year 1974. If so, indicate letter No. and date of the CCI & E accepting the export performance.

18. Is a letter of authority desired ? If so, name of the firm in whose favour it is desired.

19. The Customs House where the Import licence, if granted, will be registered.

20. Full details of the enclosures attached :

(*i*) T. R.
(*ii*) C. A. Certificate of consumption of raw materials and components.
(*iii*) C. A. Certificate of licences/release orders.
(*iv*) Check-sheet.

(1) I/We hereby declare that the goods for the import of which the application has been made are not meant for use in the manufacture of new articles for which a licence has not been obtained under Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

(2) I/We hereby declare that if this licence is granted the goods will be utilised only for consumption as raw materials or accessories in our factory and that no portion thereof will be sold to or permitted to be used by any other party.

(3) I/We hereby declare that no other application for automatic licence has been made for the goods covered by this application.

(4) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that the licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statement or facts therein are incorrect or false.

(5) I/We hereby declare that the application is made in accordance with the condition laid down in the licence obtained under the industries (Development and Regulations) Act, 1971, and that none of the items proposed to be imported by me is in contravention of any conditions imposed on me by the said licence.

Signature———————
Name in block letters———————
Designation———————
Residential Address ———————

Date———————

(PROFORMA C*L. 15)

Statement showing particulars of Actual User Licences/Release Orders and Rep. Licences/Release Orders obtained during the Licensing period.. by M/s.....

1. Actual User licences/release orders obtained for the period.

1973-74				1974-75			
Licence		Release Order		Licence		Release Order	
No. & date of I.L.	c. i. f. value of I.L.	No. & date of R. O.	c. i. f. value of R. O.	No. & date of I.L.	c. i. f. value of I.L.	No. & date of R.O.	c. i. f. value of R.O.
1	2	3	4	5	6	7	8

TE.—In the case of small scale units, they should also indicate clearly the c.i. f. value availed of under the facility of "repeat operation" as per the policy for the first half of the period 1974-75.

2. Particulars of Licences/Release Orders obtained by the Units against their own Exports:

1973-74				1974-75			
Licence		Release Order		Licence		Release Order	
No. & date of I.L.	c.i.f. value	No. & date of R.O.	c.i.f. value	No. & date of I.L.	c.i.f. value	No. & date of R. O.	c.i.f. value
1	2	3	4	5	6	7	8

NOTE.—In respect of any REP licence which had been obtained under the facility of "repeat operation" as per the policy applicable during the period 1974-75, only such REP licences which have been issued against adjustment of REP licences/release orders against the facility of "repeat operation" should be indicated.

I/We hereby declare that the information given in this statement is correct. I/we fully understand that any licence/release order issued on the basis of this information will be liable for cancellation, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if it is found that any part of the information furnished is incorrect, false or misleading.

Signature of applicant———————

Date ——————— Full Address———————

I/We hereby certify that the information in the statement is correct and complete. I/We have verified this from the following records :

(1)

(2)

(3)

(4)

I/We also certify that the applicant unit has been maintaining proper account of consumption in the prescribed form as indicated in Appendix 19 to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76.

Signature and seal of Chartered Accountant/ Cost Accountant or Sponsoring Authority in the case of small scale units.

Date———————

Full Address———————

B. D. KUMAR.
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जून, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 की अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 41-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1975—मार्च 1976 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो बृहत् पैमाने एककों के लिए आटोमैटिक लाइसेंस एवं लघु पैमाने के एककों के मामले में आटोमैटिक और पूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है ।

2. लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 के लिए आयात नीति की शर्तों के अनुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि लघु पैमाने के उद्योग के वास्तविक उपभोक्ता को चाहिए कि वह आटोमैटिक और पूरक लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे माल एवं संघटकों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए आवेदन-पत्र इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध–1 में दिए गए प्रपत्र बी–1 के अनुसार दें । इस तरह लघु पैमाने एककों (डी०जी०टी०डी० एककों सहित) से भिन्न वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिए कि वे आटोमैटिक लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे माल एवं संघटकों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए आवेदन-पत्र इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध–2 में निर्धारित किए गए प्रपत्र "सी"–1 के अनुसार दें ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि कच्चे माल एवं संघटकों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए आई०टी०सी० हैंड बुक क्रियाविधि 1975–76 में दिए गए वर्तमान प्रपत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं (बृहत् पैमाने या लघु पैमाने) द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा । ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध–1 और 2 में यथा प्रदान संशोधित प्रपत्र में नया आवेदन करें ।

4. बृहत् पैमाने के एककों (डी०जी०टी०डी० के एककों सहित) के लिए पूरक लाइसेंसों के लिए एक अलग आवेदन-प्रपत्र भी प्रकाशित किया जाएगा । बृहत् पैमाने के उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को पूरक लाइसेंसों के लिए आवेदन करते समय अपने आवेदन-पत्र के साथ आटोमैटिक लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा क्योंकि पूरक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों के संदर्भ के लिए एवं उनकी जांच के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को इसकी जरूरत होगी ।

अनुबन्ध 1

प्रपत्र ख–1

स्वचल-व-सम्पूरक लाइसेंस योजना के अधीन लघु पैमाना एककों द्वारा कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

भाग 1

(लाइसेन्स अवधि अप्रैल 1975–मार्च 1976)

1. आवेदक का नाम

2. पूरा डाक पता

(1) मकान/दुकान सं०
(2) गली/सड़क का नाम
(3) स्थान तथा नगर का नाम
(4) राज्य का नाम

3. कारखाने के स्थान का पता

4. विनिर्मित माल का विवरण

5. यदि अनिन्दा उद्योग है तो रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट–1 के अनुसार चयन सूची में उद्योग को सं० प्रस्तुत कीजिए

6. भारत में व्यवसाय के संस्थापन की तिथि

7. व्यवसाय संस्था का स्वरूप या सरकारी कम्पनी या निजी कम्पनी, साझेदारी या अभिभाजित हिन्दू परिवार संस्था है

8. संचालकों, साझीदारों, स्वामी या कर्त्ता, जो भी हों, के नाम

9. शाखाओं या सम्बद्ध कम्पनियों के ब्यौरे (नाम और स्थान)

(1) भारत
(2) विदेश में

10. आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित पंजीकरण संख्या या उससे छूट की संख्या आयकर सत्यापन पंजीकरण/छूट सं० की साक्षांकित या फोटोस्टेट प्रति भी संलग्न कीजिए (यदि वर्तमान आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र सं० नहीं है तो पिछली आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या दी जा सकती है)

11. राजकोष रसीद संख्या और दिनांक
(राजकोष रसीद मूल रूप में संलग्न करनी है)

12. राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा आवंटित पंजीकरण संख्या ।

भाग 2

13. आयात किए जाने वाले कच्चे माल/संघटकों के ब्यौरे :—

आयात व्यापार नियंत्रण क्रम संख्या	मदों की मात्रा/संख्या	मूल्य (लागत बीमा भाड़ा)
(क) वे मदें, जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध नहीं किया जाता है। (ख) वे मदें, जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है।		

टिप्पणी:—आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में मूल्य स्थिर रूप से मदवार निर्दिष्ट किया जाना है।

14. 1973–74 या 1974–75, जो भी हो, के दौरान जारी किए गए वास्तविक उपयोक्ता तथा पंजीकृत निर्यातक नीति लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे (कृपया ये ब्यौरे सनदी लेखापाल या प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कीजिए)।

15. 1974–75 के दौरान आयातित कच्चे माल और संघटकों का उपभोग [कृपया ये ब्यौरे अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 की रेडबुक वा०–1 के परिशिष्ट–2 में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल या प्रायोजक प्राधिकारी या लागत लेखापाल (व्यवसायी) द्वारा विधिवत् प्रमाणित करा कर देने चाहिए]।

16. मशीनरी और उपस्कर पर पूंजी निवेश।

17. क्या क्षमता का निर्धारण मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यदि हां, तो निर्धारित और अनुमोदित मूल्य के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र की संख्या और दिनांक निर्दिष्ट कीजिये।

18. क्या वित्तीय वर्ष 1974–75 या पंचांग वर्ष 1974 के दौरान उत्पादन का 20 प्रतिशत या अधिक निर्यात करने वाला यह एक निर्यातक एकक है। यदि हां, तो निर्यात निष्पादन को स्वीकृत करने वाले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र की संख्या और दिनांक निर्दिष्ट कीजिए।

19. क्या एक प्राधिकार पत्र मांगा गया है?
यदि हां, तो जिस फर्म के पक्ष में मांगा गया है उस का नाम।

20. सीमाशुल्क कार्यालय जहां लाइसेन्स, यदि प्रदान किया गया, पंजीकृत किया जाएगा।

21. संलग्न किए गए संलग्नकों के पूर्ण ब्यौरे :—
(1) राजकोष चालान
(2) कच्चे माल और संघटकों के उपभोग का सदन सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र।
(3) 1974–75/1973–74 के लिए जारी किए गए लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों का सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र
(4) चेक शीट

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेन्स मंजूर किया जाएगा तो माल केवल हमारे कारखाने में कच्ची सामग्री, संघटकों या उपसाधकों के रूप में उपभोग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और उसका कोई भी भाग किसी अन्य पक्ष को न तो बेचा जाएगा और न उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में वर्णित माल के लिए कोई भी अन्य आवेदन-पत्र स्वचल लाइसेन्स के लिए नहीं दिया गया है।

3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन-पत्र की क्रम संख्या 14 के सामने उद्धृत पंजीकरण संख्या वैध है और वह रद्द और/या प्रत्याहृरित नहीं की गई है या अन्य प्रकार से अप्रचलित नहीं की गई है ।

4. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है । मुझे/हमें पूर्णरूपेण ज्ञात है कि प्रस्तुत किए गए कथनों में से यदि कोई भी कथन या तथ्य असत्य या झूठा पाया जाएगा तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो दण्ड अधिरोपित करेगी या अन्य जो भी कार्रवाई करेगी, उसके अतिरिक्त मुझे/हमें प्रदान किया गया लाइसेन्स प्रस्तुत किए गए कथन के आधार पर रद्द किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर.....

दिनांक

साफ-साफ अक्षरों में नाम

पदनाम

निवास स्थान का पता

प्रपत्र—क्रम सं० 14

सर्वश्री द्वारा.....लाइसेन्स अवधि के दौरान प्राप्त किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों और आर ई पी लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र ।

I. अवधि के लिए प्राप्त किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्स/रिहाई आदेश :

1973–74				1974–75			
लाइसेन्स		रिहाई आदेश		लाइसेन्स		रिहाई आदेश	
आयात लाइसेन्स की संख्या और दिनांक	आयात लाइसेन्स का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	रिहाई आदेश का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	आयात लाइसेन्स की संख्या और दिनांक	आयात लाइसेन्स का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	रिहाई आदेश का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पणी:—लघु पैमाना एककों के मामले में उन्हें 1974–75 अवधि की प्रथम छमाही की नीति के अनुसार "आवृति प्रचालन" की सुविधा के अन्तर्गत उपलब्ध किए गए लागत-बीमा-भाड़ा को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ।

2. एककों द्वारा अपने निजी निर्यातों के आधार पर प्राप्त किए गए लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे ।

1973–74				1974–75			
लाइसेन्स		रिहाई आदेश		लाइसेन्स		रिहाई आदेश	
आयात लाइसेंस की सं० और दिनांक	लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	लागत-बीमा भाड़ा मूल्य	आयात लाइसेन्स की सं० और दिनांक	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की सं० और दिनांक	लागत बीमा भाड़ा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पणी.—जो ऊपर ई पी लाइसेन्स 1974–75 अवधि के दौरान लागू नीति के अनुसार "आवृत्ति प्रचालन" की सुविधा के लिए अन्तर्गत प्राप्त किया गया था, उसके सम्बन्ध में केवल ऐसे आई ई पी लाइसेन्स निर्दिष्ट किए जाने चाहिएं जो "आवृत्ति प्रचालन" की सुविधा के आधार पर आर ई पी लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के समंजन के प्रति जारी किए गए हैं ।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस विवरण पत्र में दी गई सूचना सही है । मुझे / हमें पूर्णरूपेण ज्ञात है कि यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भी अंश गलत, झूठा या भ्रामक पाया जायेगा तो इस सम्बन्ध में जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है उसके अतिरिक्त, इस सूचना के आधार पर जारी किया गया कोई भी लाइसेन्स/रिहाई आदेश रद्द कर दिया जाएगा ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर.....

पूरा पता

.....

मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि विवरण पत्र में दी गई सूचना सही और पूर्ण है । मैंने/ हमने निम्नलिखित रिकार्ड में इसे सत्यापित कर लिया है ।

(1)
(2)
(3)
(4)

मैं/ हम यह भी प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि आवेदक एकक आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक, 1975–76 के परिशिष्ट 19 में यथा निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में उपभोग का उचित लेखा रखता रहा है ।

दिनांक.....

सनदी लेखापाल/ लागत लेखापाल या लघु पैमाना एककों के मामले में प्रयोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

पूरा पता

.....

अनुबन्ध 2

प्रपत्र ग–1

स्वचल लाइसेंस योजना के अधीन लघु पैमाने एककों (डी०जी०टी०डी० एककों सहित) से भिन्न वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

भाग–1

(लाइसेंस अवधि अप्रैल–1975–मार्च 1976)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
 (1) मकान/दुकान सं०
 (2) गली/सड़क का नाम
 (3) स्थान तथा नगर का नाम
 (4) राज्य का नाम
3. कारखाने के स्थान का पता
4. विनिर्मित माल का विवरण
5. यदि चुनिन्दा उद्योग है तो रेडबुक (वा० 1) के परिशिष्ट-1 के अनुसार चयन सूची में उद्योग की क्रम सं० प्रस्तुत कीजिए ।
6. भारत में व्यवसाय के संस्थापन के तिथि ।
7. व्यवसाय संस्था का स्वरूप, क्या सरकारी कम्पनी या निजी कम्पनी, साझेदारी या अविभाजित हिन्दू परिवार संस्था है ।
8. संचालकों, साझीदारों, स्वामी या कर्ता, जो भी हो, के नाम ।
9. शाखाओं या सम्बद्ध कम्पनियों के ब्यौरे (नाम और स्थान)
 (1) भारत में
 (2) विदेश में
10. आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित पंजीकरण संख्या या उससे छूट की सं० आयकर सत्यापन पंजीकरण/छूट सं० की साक्ष्यांकित या फोटोस्टेट प्रति भी संस्थान कीजिये (यदि वर्तमान आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र सं० नहीं है तो पिछली आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या दी जा सकती है ।
11. राजकोष रसीद संख्या और दिनांक (राजकोष रसीद संलग्न करनी है)
12. महानिदेशालय, तकनीकी विकास/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दी गई फैक्ट्री संख्या
13. महानिदेशालय तकनीकी विकास/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और यदि कोई औद्योगिक लाइसेन्स जारी किया गया है तो उसकी तिथि ।

भाग–2

14. आयात किए जाने वाले कच्चे माल/संघटकों के ब्यौरे:—

आयात व्यापार नियंत्रण क्रम संख्या	मदों की मात्रा/संख्या	मूल्य (लागत बीमा भाड़ा)
	वे मदें, जिसका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से सरणी-बद्ध नहीं किया जाता है। वे मदें, जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है।	

टिप्पणी:—आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सरणी बद्ध मदों के संबंध में मूल्य स्थिरण से मदवार निर्दिष्ट किया जाना है ।

15. 1973-74 या 1974-75, जो भी हो, के दौरान जारी किए गए वास्तविक उपयोक्ता तथा पंजीकृत निर्यातक नीति लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे (कृपया ये ब्यौरे सनदी लेखापाल या प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कीजिये)

16. 1974-75 के दौरान आयतित कच्चे माल और संघटकों का उपभोग (कृपया ये ब्यौरे अप्रेल मार्च 1975-76 की रैडबुक वा-1 के परिशिष्ट-2 में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल या प्रायोजक प्राधिकारी या लागत लेखापाल (व्यवसायी) द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर देने चाहिएं) ।

17. क्या वित्तीय वर्ष 1974-75 या पंचांग वर्ष 1974 के दौरान उत्पादन का 20 प्रतिशत या अधिक निर्यात करने वाला यह एकक निर्यातक एकक है। यदि हां, तो निर्यात निष्पादन को स्वीकृत करने वाले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र की संख्या और दिनांक निर्दिष्ट कीजिये ।

18. क्या एक प्राधिकार पत्र मांगा गया है ? यदि हां, तो जिस फर्म के पक्ष में मांगा गया है उसका नाम ।

19. सीमाशुल्क कार्यालय जहां लाइसेन्स, यदि प्रदान किया गया, पंजीकृत किया जाएगा।

20. संलग्न किए गए संलग्नकों के पूर्ण ब्यौरे:—

(1) राजकोष चालान

(2) कच्चे माल और संघटकों के उपभोग का सनदी लेखा-पाल का प्रमाण पत्र ।

(3) लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों का सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र ।

(4) चेक शीट

(1) मैं हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के आयात के लिये आवेदन पत्र दिया गया वह उन नई वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिये नहीं है जिनके लिये उद्योग (विकास तथा वियनिमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है ।

(2) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस हमें प्रदान किया गया तो माल हमारे निजी कारखाने में केवल कच्चे सामान या उपसाधकों के रूप में उपभोग के लिये प्रयुक्त किया जायगा और उसका कोई भी भाग किसी भी अन्य पक्ष को न तो बेचा जायगा और न उसे उपयोग करने की अनुमति दी जायगी ।

(3) मैं हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उस आवेदन पत्र में वर्णित माल के लिए अन्य कोई भी आवेदक पत्र स्वचल लाइसेंस के लिए नहीं दिया गया है ।

(4) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है । मुझे/हमें पूर्ण रूपेण ज्ञात है कि प्रस्तुत किये गये कथनों में से यदि कोई भी कथन या तथ्य असत्य या झूठा पाया जायगा तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार जो दंड अधिरोपित करेगी उसके अतिरिक्त, मुझे, हमें प्रदान किया गया लाइसेंस प्रस्तुत किये गये कथन के आधार पर रद्द किया जा सकता है । मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1971 के अधीन प्राप्त किये गये लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार दिया गया है और यह मेरे द्वारा आयात की जाने के लिये प्रस्तावित कोई भी मद उक्त लाइसेंस द्वारा मेरे ऊपर अधिरोपित किसी भी शर्त के प्रतिकूल नहीं है ।

दिनांक ———————— हस्ताक्षर ————————

साफ साफ अक्षरों में नाम ————————

पदनाम ————————

निवास स्थान का पता ————————

(प्रपत्र क्रम—संख्या 15)

सर्वश्री द्वारा ०००००००००० लाइसेन्स अवधि के दौरान प्राप्त किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों और आर ई पी लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र ।

1. अवधि के लिए प्राप्त किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्स/रिहाई आदेश :

1973–74				1974–75			
लाइसेन्स		रिहाई आदेश		लाइसेन्स		रिहाई आदेश	
आयात लाइसेन्स की सं० दिनांक	आयात लाइसेन्स का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	रिहाई आदेश का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	आयात लाइसेन्स की सं० और दिनांक	आयात लाइसेन्स का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	रिहाई आदेश का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पणी :—लघु पैमाना एककों के मामले में उन्हें 1974–75 अवधि की प्रथम छमाही की नीति के अनुसार "आवृत्ति प्रचालन" की सुविधा के अन्तर्गत उपलब्ध किए गए लागत-बीमा-भाड़ा को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ।

2. एककों द्वारा अपने निजी निर्यातों के आधार पर प्राप्त किए गए लाइसेन्सों/रिहाई आदेशों के ब्यौरे :

1973–74				1974–75			
लाइसेन्स		रिहाई आदेश		लाइसेन्स		रिहाई आदेश	
आयात लाइसेंस की सं० और दिनांक	लागत बीमा-भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	लागत बीमा-भाड़ा मूल्य	आयात लाइसेन्स की सं० और दिनांक	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	रिहाई आदेश की सं० और दिनांक	लागत बीमा-भाड़ा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पणी :—जो ऊपर ई बी लाइसेन्स 1974–75 अवधि के दौरान लागू नीति के अनुसार "आवृत्ति प्रचालन" की सुविधा के लिए अन्तर्गत प्राप्त किया गया था, उसके सम्बन्ध

में केवल ऐसे आर ई बी लाइसेन्स निर्दिष्ट किए जाने चाहिए जो "आवृत्ति प्रचालन" की सुविधा के आधार पर आर ई बी लाइसेन्स/रिहाई आदेशों के समंजन के प्रति जारी किए गए हैं

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि इस विवरण पत्र में दी गई सूचना सही है। मुझे/हमें पूर्णरूपेण ज्ञात है कि यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भी अंश गलत, झूठा या भ्रमात्मक पाया जायेगा तो इस सम्बन्ध में जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है उसके अतिरिक्त, इस सूचना के आधार पर जारी किया गया कोई भी लाइसेन्स/रिहाई आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

पूरा पता

.....

मैं / हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि विवरण पत्र में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मैंने/हमने निम्नलिखित रिकार्ड में इसे सत्यापित कर लिया है।

(1)
(2)
(3)
(4)

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि आवेदक एकक आयात व्यापार संयंत्र नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक, 1975–76 के परिशिष्ट 19 में यथा निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में उपयोग का उचित लेखा रखता रहा है।

दिनांक.....

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल या लघु पैमाना एककों के मामले में प्रयोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

पूरा पता

.....

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975